संख्याः 20 /स०परि०/ 2003

प्रेषकः

नृप सिंह नपलच्याल
सचिव, परिवहन,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त
जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।

परिवहन विभागः देहरादूनः 20 फरवरी, 2003

विषयः पर्वतीय मार्गो पर दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः 782 / स.परि./ 2002 दिनॉक 19 अक्टूबर, 2002 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु वाहनों की प्रभावी चैकिंग जनपद स्तर पर किये जाने कि अपेक्षा की गई थी। यह नितांत चिंता का विषय है कि अभी भी विभिन्न जनपदों में बड़े वाहनों तथा हल्के वाहनों की दुर्घटनाएं हो रही है जिस कारण बड़े पैमाने पर जान–माल की क्षति हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जनपद स्तर पर संबंधित टास्क फोर्स के अधिकारी तथा थाना स्तर पर पुलिस कर्मियों के द्वारा वाहनों की नियमित चैकिंग नही की जा रही है जिसमें सवारी गाड़ियों पर ओवर लोडिंग तथा चालको के द्वारा ओवर स्पीडिंग को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है।

2- शासन के संज्ञान में वाहन दुर्घटनाओं के जो भी प्रकरण आये हैं उनमें या तो दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में ओवर लोडिंग की गई थी अथवा चालकों के द्वारा ओवर स्पीडिंग के कारण दुर्घटना घटित हुई थी। इसके अतिरिक्त बसों के छतोंपर सवारी बिठाने तथा सवारी वाहनों में माल लादने से भी दुर्घटनाएं हुई हैं। जिला स्तर पर विभिन्न मार्गो में चैकिंग तथा प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा प्रभावी रूप में चैकिंग कर इस पर रोक लगाई जा सकती है तथा ओवर लोडिंग तथा ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन स्वामियों एवं चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त बैठक करके अपने–अपने जनपद में चैकिंग का अभियान चलायें। इस अभियान में संबंधित उप जिलाधिकारी , पुलिस क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष तथा जहॉं परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी उपलब्ध हैं, की टीम गठित करके विभिन्न मार्गो पर वाहनों की चैकिंग की जाय तथा वाहनों की ओवर लोडिंग एवं ओवर स्पीडिंग पाये जाने पर संबंधित वाहन स्वामी एवं चालक के विरूद्ध मौके पर ही कार्यवाही की जाय तथा चालकों के लाइसेंस निलम्बित /निरस्त करने की कार्यवाही की जाय।

3- वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर तत्काल बचाव एवं राहत कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरम्भ की जाय तथा दुर्घटना की मैजिस्ट्रेट द्वारा जॉंच भी समयबद्ध रूप में किया जाय। इस जॉंच में दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के साथ–साथ संबंधित

क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों जो चैकिंग के लिए जिम्मेदार है का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय तथा उनके स्तर पर चैकिंग करने में उदासीनता अथवा लापरवाही पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के द्वारा समस्त थानाध्यक्षों को इस संबंध में कड़े निर्देश इस आशय के दिये जाय कि ओवर लोडिंग एवं ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन स्वामियों एवं चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के अतिरिक्त भा0द0संहिता के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाय तथा उनके विरूद्ध मौके पर ही कार्यवाही की जाय ताकि वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। जिन थाना क्षेत्रों में प्रभावी चैकिंग एवं कार्यवाही के अभाव में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होती है तो संबंधित थानाध्यक्ष की जवाबदेही निर्धारित करते हुए उसके विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जाय।

4- जिलाधिकारी के द्वारा प्रत्येक सप्ताह चलाये जा रहे चैकिंग अभियान की प्रगति की सूचना संलग्न प्रारूप पर शासन तथा मंडलायुक्त को उपलब्ध कराया जाय।

5- आशा है कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही गम्भीरता पूर्वक सुनिश्चित की जायेगी ताकि आपके जनपद में वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके तथा यात्रियों के जान–माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करे।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

संख्या: /तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, गृह , उत्तरांचल शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल।
3. मंडलायुक्त, कुमायूँ/गढवाल।
4. परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, गढवाल/ कुमायूँ।

प्रतिलिपि:

अपर परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल को इस आशय से प्रेषित कि वे इस संबंध में समस्त संभागीय परिवहन अधिकारियों एवं प्रवर्तन अधिकारियों को वाहनों की प्रभावी चैकिंग किये जाने हेतु कड़े निर्देश प्रसारित करे तथा इस संबंध में दुर्घटना हेतु संबंधित प्रवर्तन अधिकारी की जवाबदेही तय कर उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, मा.मुख्यमंत्री जी को मा0मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा0परिवहन मंत्री जी को मा0 परिवहन मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

072

साप्ताहिक आख्या–
जनपद का नाम–

दिनांक से तक	सप्ताह में चैक किये गये वाहनों की संख्या	ओवर लोडिंग के मामलों की संख्या	ओवर स्पीडिंग के मामलें की संख्या	चालान तथा कानूनी कार्यवाही का विवरण	वाहन परमिट निलम्बन/निरस्त की संस्तुति संख्या	चालकों के लाइसेंस निलम्बन/निरस्त करने की संस्तुति संख्या	सप्ताह में वाहन दुर्घटनाओं की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

C:/Document Burman. DM, UA.